संख्या 35034/9/2010-स्था.(घ)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना(घ)

* * *

11 APR 2011
RECEIVED
MINISTRY OF HEALTH & F.W.

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
दिनांक 10.2- 2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- संवर्ग गठन की समीक्षा के संबंध में ।

दिनांक 27.03.2010 को आयोजित राष्ट्रीय विसंगति समिति की द्वितीय बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, संशोधित सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नयन योजना (एमएसीपीएस) से संबंधित विसंगतियों की जांच करने हेतु एक संयुक्त जांच समिति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/1/2010-जेसीए दिनांक 3.05.2010 द्वारा गठित की गई थी ।

2. पूर्व एसीपीएस अथवा एमएसीपीएस के अंतर्गत लाभों हेतु किसी चुनाव को लेने के लिए संगठनों/संवर्गों को एक विकल्प प्रदान किए जाने के मुद्दे पर भी संयुक्त समिति की बैठक में चर्चा हुई थी । जबकि इस मुद्दे पर और आगे विचार-विमर्श की अपेक्षा होगी, यह पुनः दोहराया जाता है कि एमएसीपीएस (जैसा कि एसीपीएस के साथ मामला था) स्थान न लिए जाने में पदोन्नतियों के मामले में एक वापसी का विकल्प है । संवर्ग गठन को आवधिक रूप में समीक्षा की जाने की आवश्यकता है ताकि संगठन का कार्यात्मक आवश्यकताओं और कर्मचारियों के कॅरिअर प्रोन्नयन में समन्वय हो । तदनुसार, सभी संबंधितों से गतिरोध की समस्या को कम करने के मद्देनज़र समयबद्ध आधार पर संवर्ग गठन की समीक्षा किए जाने की सलाह दी जाती है ।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा इस मामले में मार्गदर्शन और यथोचित कार्रवाई हेतु इस कार्यालय ज्ञापन की अंतर्वस्तु का बृहत् परिचालन दिया जाए ।

समन्वय-I/Coron-I
डा. स./Dy. No. 27 20.11
दिनांक/Date 18/4/11

एस कुमार
(स्मिता कुमार)
निदेशक (स्थापना-I)
दूरभाष नं. 23092479

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि :-

1. राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/उच्चतम न्यायालय/राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/संघ लोक सेवा आयोग/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/नियंत्रक और महालेखा परीक्षक/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान खण्डपीठ), नई दिल्ली ।
2. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अधीनस्थ/सम्बद्ध कार्यालय ।
3. सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ।
4. सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग ।
5. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
6. राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
7. व्यय विभाग (कार्यान्वयन प्रकोष्ठ)
8. रेल मंत्रालय
9. सूचना सुविधा केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (20 प्रतियां)
10. एन.आई.सी. (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग शाखा) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर इस कार्यालय ज्ञापन को डालने हेतु ।
11. स्थापना(घ) अनुभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (100 प्रतियां)

स्मिता कुमार

(स्मिता कुमार)
निदेशक (स्थापना-I)
दूरभाष नं. : 23092479

No.1/4/2011-P&PW(E)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

....

New Delhi, the 1st April, 2011

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Grant of family pension to childless widow of a deceased Central Government employee after her remarriage – Clarification - reg.

A reference is invited to the Department of Pension & Pensioners' Welfare's O.M. No. 38/37/08-P&PW(A) dt. 2.9.2008 whereby provisions regulating pension/family pension/gratuity/commutation of pension/disability pension/ex-gratia lumpsum compensation, etc. were revised consequent upon implementation of Government's decision on the recommendations of 6th CPC.

2. As per the provisions of para 8.6 of the ibid O.M., the childless widow of a deceased Government employee shall continue to be paid family pension even after her remarriage subject to the condition that the family pension shall cease once her independent income from all other sources becomes equal to or higher than the minimum prescribed for family pension in the Central Government.

3. References/Representations have been received in this Department from various quarters raising therein doubts that the provisions of this Department's O.M. dt. 2.9.2008 do not adequately take care of cases wherein death of the employee took place prior to 1.1.2006 and the childless widow of the deceased employee got remarried before/on or after 1.1.2006.

4. The issue has been examined in this Department in consultation with Department of Expenditure. It is hereby clarified that the childless widow of a deceased Central Government employee who had expired before 1.1.2006, shall be eligible for family pension in the light of 6th CPC's recommendations irrespective of the fact that the remarriage of the widow had taken place prior to/on or after 1.1.2006. The financial benefits in such cases, however, will accrue from 1.1.2006. This, however, would be subject to the fulfillment of certain conditions laid down therein, including the income criterion that the income of the widow from all sources does not become equal to or higher than the minimum prescribed for family pension in the Central Government.

5. This issues with the concurrence of Department of Expenditure, Ministry of Finance vide their U.O. No.64/EV/2011 dt. 11.3.2011.

6. This order, in so far as their applicability relates to the employees of Indian Audit & Accounts Department, is being issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India vide their U.O. No. 50 - Audit(Rules/ 14-2010 dt. 31.3.2011..

7. Hindi version will follow.

(K.S.CHIBB)
Director
Tele: **24635979**

To

All Ministries/Departments

Copy to: NIC, DOP&PW, Lok Nayak Bhavan, Khan Market, New Delhi with the request that the O.M. may please be uploaded on the website of Department of Pension & Pensioners' Welfare as well as on the Pensioners' Portal under the head 'What is New?'